कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र (प्रशासन)

विषय: आपराधिक कार्यवाहियों में आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य सूचना प्रदान करने के संबंध में।

मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 10–Staff Wing/2026, सं. 439–Staff (Disc-I)/20-2025 दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से प्रचलित निर्देशों की पुनः पुष्टि की गई है, जिनके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाहियों से संबंधित निरोध, दोषसिद्धि अथवा दंडादेश के संबंध में विभाग को यथाशीघ्र सूचित करना अपेक्षित है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी का निरोध 48 घंटे से अधिक हो अथवा उसे 48 घंटे से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया हो, संबंधित प्रकरण की सूचना तत्काल विभाग को देना अनिवार्य है।

यह भी अवगत कराया गया है कि सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Vigilance Clearance) ऐसे मामलों में स्थगित/अस्वीकृत किया जा सकता है, जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी निलंबनाधीन हो, अथवा जिसके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी होने के उपरांत विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप में अभियोजन न्यायालय में लंबित हो। तथापि यह संज्ञान में आया है कि कुछ प्रकरणों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए जाने की सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके फलस्वरूप अपूर्ण जानकारी के आधार पर अनजाने में सतर्कता अनापत्ति प्रदान की जा सकती हैं ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ हो अथवा आरोप-पत्र दायर किया गया हो, या ऐसा कोई मामला लंबित हो, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध कराएं।

इसके अतिरिक्त, एफ.आई.आर. संख्या/मामला संख्या, न्यायालय का नाम, थाना आदि सहित एफ.आई.आर. के पंजीकरण, न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए जाने, निरोध/गिरफ्तारी, लंबित आपराधिक मामला/मामले, न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि/दंडादेश, लंबित सतर्कता प्रकरण आदि से संबंधित सम्पूर्ण विवरण वर्तमान स्थिति सहित अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्व में इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, वे भी प्रकरण की नवीनतम स्थिति सहित उक्त सूचना पुनः प्रेषित करने की कृपया करे ।

उपर्युक्त जानकारी का प्रकटीकरण न करने अथवा तथ्यों को छिपाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

Hqrs. office vide Circular No. 10–Staff Wing/2026, No. 439–Staff (Disc-I)/20-2025 dated 17.02.2026 has reiterated the extant instructions whereby a Government servant is required to promptly intimate the department regarding detention, conviction or sentencing in criminal proceedings along with cases where detention exceeds 48 hours, or where a Government servant is convicted and sentenced to imprisonment exceeding 48 hours.

Further, it is informed that **Vigilance Clearance** may be withheld in cases where a Government servant is under suspension, where disciplinary proceedings are pending after issue of charge-sheet, or where prosecution for a criminal charge is pending. However, it has been observed that in some cases filing of charge-sheets in criminal proceedings has not been disclosed to the office, resulting in inadvertent grant of vigilance clearance on the basis of incomplete information.

In view of the above, **all Officers/Officials of this office are hereby directed to immediately intimate the Administration Section in case any criminal case or charge-sheet is filed against them in any court of law**, or if any such case is pending.

Further, complete details (viz. Case No./FIR No., name of the Court, Police Station, etc.) regarding registration of FIR, filing of charge-sheet in court, detention/arrest, pending criminal case(s), conviction/sentence by a court of law, pending vigilance case, etc., may invariably be intimated along with the present status of the matter.

Officers/Officials who have already furnished such information earlier are also requested to submit the same afresh along with the latest status of the case/matter, if any.

Failure to disclose such information shall be viewed seriously and may attract disciplinary action under the relevant rules.

Digitally signed by
SANDEEP DABUR
Date: 09-03-2026
17:37:11

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या: प्रशा०/ले०प०/VigilanceCases/D21/2014-2024/I/1343021/2026
दिनांक: 09-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही तथा सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार ।
2. निजि सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ।
3. निजि सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- I) ।
4. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- II) ।
5. निजि सहायक उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- III) ।
6. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
7. कल्याण अधिकारी ।
8. सभी अधिकारी/कर्मचारी ।

Phone: +91-177-2652607 E-mail: agauhimachalpradesh@cag.gov.in